राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजेश खुल्लर को हरियाणा के मुख्यमंत्री का **मुख्य प्रधान सचिव** नियुक्त किया गया है, लेकिन उन्हें **कैबिनेट दर्जा** नहीं दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- **कानूनी ढाँचा: राज्य सरकार को** अपने प्रशासनिक विवेक के तहत **सलाहकारों और सचिवों** की नियुक्ति करने का अधिकार है।
    - इसी तरह के पदों के विपरीत, **खुल्लर की नियुक्ति के साथ कैबिनेट रैंक नहीं दी गई है,** जिसका अर्थ है कि उन्हें मंत्रियों के समान सुविधाएँ नहीं मिलेंगी या कैबिनेट ज़िम्मेदारियाँ नहीं होंगी।
    - खुल्लर की भूमिका में **विधायी या कैबिनेट की भागीदारी को छोड़कर प्रशासनिक निर्णयों, नीति निर्माण और रणनीतिक शासन में मुख्यमंत्री की सहायता** करना शामिल है।
- **राज्य की शक्तियाँ:** राज्य सरकार, **अनुच्छेद 162** के तहत, प्रशासनिक सलाहकार भूमिकाओं में व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करती है।

//

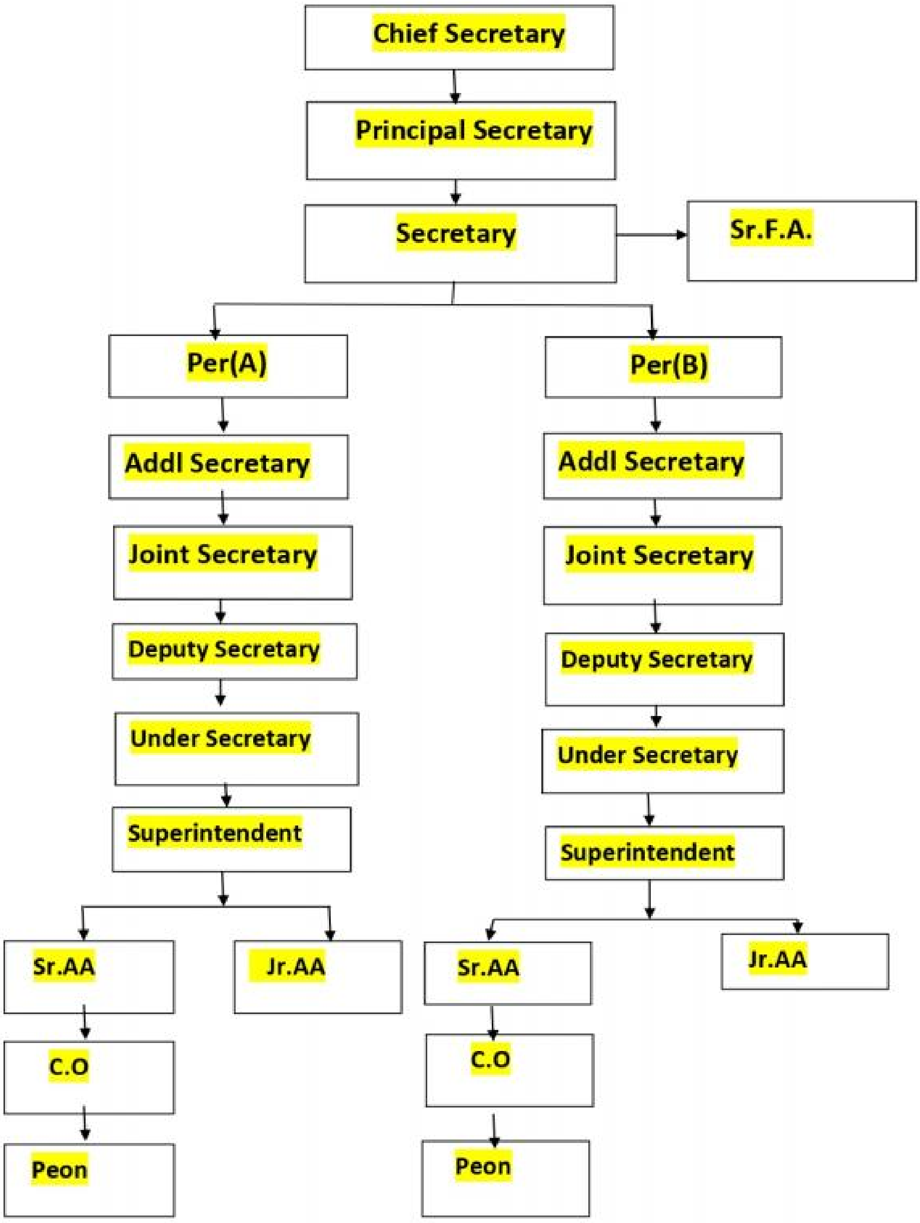
Chief Secretary
Principal Secretary
Secretary
Sr.F.A.
Per(A)
Per(B)
Addl Secretary
Addl Secretary
Joint Secretary
Joint Secretary
Deputy Secretary
Deputy Secretary
Under Secretary
Under Secretary
Superintendent
Superintendent
Sr.AA
Jr.AA
Sr.AA
Jr.AA
C.O
C.O
Peon
Peon

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajesh-khullar-appointed-as-chief-principal-secretary-to-cm